



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

सुविधा संख्या 02/2018

27 मार्च 2018

विषय : इंडो-भूटान और इंडो-म्यांमार सीमाओं पर थल सीमा चौकी पर कार्य समय एवं साप्ताहिक अवकाश – संबंधी ।

व्यापार और सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21.11.2002 के जनसूचना संख्या 09/2002 के तहत सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी थल सीमा चौकी हेतु व्यापार समय एवं साप्ताहिक अवकाश तय किया गया है। तदनुसार, इंडो-बांग्लादेश सीमा पर एल. सी. एस. के लिए कार्य-समय पर संशोधित किया गया है। वे एल.सी.एस. जो वर्तमान में दिनांक 04.08.2015 के सुविधा सं. 06/2015 का अनुसरण करते हैं वे दिनांक 21.12.16 के संशोधित सुविधा संख्या 06/2016 का पालन करें।

अब, इंडो-भूटान और इंडो-म्यांमार सीमा पर वर्तमान समय में संचालित एल.सी.एस. के लिए व्यापार समय और साप्ताहिक बंद होने के मुद्दे की पुनः जाँच करने पर, निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। समय और साप्ताहिक बंद होने का समय नीचे दी गई तालिका में दिया जा रहा है।


भारत- म्यांमार			
क्रम संख्या	थल सीमा चौकी	सप्ताह के दिन बंद	व्यापार समय(आईएसटी) (कार्य समय)
1	मोरेह	रविवार	08.00 पूर्वाह्न -05.00 अपराह्न
2	जोखावथार	रविवार	08.00 पूर्वाह्न- 05.00 अपराह्न
भारत- भूटान			
क्रम संख्या	थल सीमा चौकी	सप्ताह के दिन बंद	व्यापार समय(आईएसटी) (कार्य समय)
1	दारंगा	रविवार	08.00 पूर्वाह्न -06.00 अपराह्न
2	हतिसर	रविवार	08.00 पूर्वाह्न- 06.00 अपराह्न
3	कमार्द्विसा (रंगपानी)	रविवार	08.00 पूर्वाह्न- 06.00 अपराह्न

उपर्युक्त संशोधित व्यवस्था पर की गई चर्चा दिनांक 01.04.18 से प्रभावी होगी।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 36 के अनुसार सीमा शुल्क (सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए शुल्क विनियमन 1998 का अवलोकन करें। विभाग द्वारा मनाई गई किसी अन्य अवकाश पर एवं साप्ताहिक बंद के दौरान सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा "सीमा शुल्क कार्य" करने पर केवल निर्धारित शुल्क के भुगतान पर और मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसरण किया जाएगा।

इस आयुक्तालय में सभी एल. सी. एस. में यात्रियों और सामान की निकासी के प्रयोजन के लिए सप्ताह के सभी सात दिन 06.00 पूर्वाह्न से 06.00 अपराह्न (आई. एस. टी) तक मौजूदा निर्धारित समय लागू होगा।

तत्काल प्रभाव से जारी सुविधा दिनांक 21.11.02 के जनसूचना सं 09/2002 को निरस्त किया जाता है।



(बंदना देवरी)
आयुक्त


C.No. VIII (48) ^{MOT/} CUS/TECH/MISC/-EXP-IMP/2018/ 4931-44 (A)

dated

27 MAR 2018

प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग।
2. उप आयुक्त / करीमगंज / इम्फाल / गुवाहाटी / दिमापुर / धुबरी / आइज़ल / सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला / शिलांग।
उनसे अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी व्यापारी/ निर्यातकर्ता/ आयातकर्ता / संघ को को इस सुविधा द्वारा सूचित करे एवं सीमा शुल्क चौकी में इस सुविधा का अनुपालन किया जाए।
3. अधीक्षक, कंप्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस स्थायी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करे।
4. गार्ड फाइल



(शुभादीप चौधरी)
अधीक्षक (तकनीकी)